FORM No.III
(फर्दअहकाम नियम 26)

APP Crll

नाम कलेक्टर मुकाम बसवा

आर्यन बनाम सरकार

मामला 128 पत्थरगढी नं. 18 सन 2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27.05.2024 प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री आर्यन शेहरा पुत्र इन्द्र कुमार नाबालिक जरिये संरक्षक कुदरती माता दीपिका मीना पत्नी इन्द्र कुमार जाति मीना निवासी जावली का बाढ तहसील बसवा वगैरह जरिये एड. श्री कमलसिंह महावर विरूद्ध अप्रार्थीगण राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा के वास्ते अंतर्गत धारा 128, 111 एल.आर.एक्ट (पत्थरगढी किये जाने बाबत्) का पेश किया है। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.06.2024 को पेश हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	
24-6-24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी नं. 1 की तामील प्राप्त, वास्ते बहस व सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति पेश करने के लिए पत्रावली दिनांक 26-6-24 को पेश हो	
26-6-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। सीमाज्ञान रिपोर्ट 12-6-23 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की अवलोकन किया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया, जो शामिल मिसल होकर, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] होकर नस्थर से [illegible] उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.30 15:37:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 18/2024
प्रकरण रज्जु दिनांक : 27.05.2024
निर्णय दिनांक 26.6.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. आर्यन शेहरा पुत्र इन्द्र कुमार
2. ईवान शेहरा पुत्र इन्द्र कुमार

नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती माता दीपिका मीना पत्नी इन्द्र कुमार जाति मीना निवासी जावली का बाढ, तहसील बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थी)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 26.6.2024

उपस्थिति :–1. प्राथीगर्ण की ओर से एडवाकेट श्री नवीन कुमार गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 186 पुराना 143 आराजी खसरा नंबर 2910 रकबा 0.73 हैक्टयर, 2911 रकबा 0.77 हैक्टयर, 2916 रकबा 0.30 हैक्टयर, 2927 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.84 हैक्टयर भूमि ग्राम जावली का बाढ पटवार हलका बसवा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण कब्जा काश्त एवं स्वामित्वाधिकारी है । प्रार्थीगण नाबालिग होने से प्रा.पत्र जरिये कुदरती माता दीपिका मीना पत्नी इन्द्रकुमार मीना के द्वारा जरिये संरक्षक पेश किया है । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो कि पैरा नंबर 1 में वर्णित है, उसे तहसीलदार बसवा के आदेश कमांक भू.अ./2023/2193 दिनांक 7.6.2023 की पालना में दिनांक 12.6.2023 को पटवारी हलका द्वारा सीमाज्ञान करवा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है । प्रार्थीगण की कृषि भूमि के आसपास स्थित खातेदारों से सीमाओं का विवाद होने की संभावना रहती है, जिसके कारण प्रार्थीगण बाद सीमाज्ञान, पत्थरगढी करवाना चाहते हैं जिससे प्रार्थीगण की आराजी सुरक्षित रह सके । अतः प्रा.पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] खाता संख्या नया 186 पुराना 143 के आराजी खसरा नंबर 2910 रकबा 0.73 हैक्टयर, 2911 रकबा 0.77 हैक्टयर, 2916 रकबा 0.30 हैक्टयर एवं 2927 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल [illegible] कुल रकबा 1.84 हैक्टयर भूमि ग्राम जावली का बाढ, पटवार हलका बसवा तहसील बसवा का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.6.2023 के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश [illegible]न करने की कृपा करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.30 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

पत्रावली का अवलोकन किया, मुताबिक मौका पर्चा वास्ते सीमाज्ञान द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

पटवारी हलका बसवा द्वारा दिनांक 12.062023 में अंकन किया गया है कि "आज दिनांक 12.6.2023 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश कमांक भू.अ./2023/2153 दिनांक 7.6.2023 की पालना में सीमाज्ञान करने मौके पर पहुँचा । प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नंबरान 2910/0.73, 2911/0.77, 2916/0.30 व 2927/0.04 किता 4 रकबा 1.84 हैक्टयर का सीमाज्ञान मुस्तकिल बिन्दु 2895 गै.मु.चाह तथा खसरा नंबर 3317 गै.मु.चाह तथा खसरा नंबर 3327 गै.मु.चाह को मुस्तकिल बिन्दुमान उक्त खसरा नंबरान का सीमाज्ञान करवाया गया । मौका पर्चा पढकर सुनाया गया व उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये ।"

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई । प्रार्थी पक्ष के द्वारा अपनी बहस में इन तथ्यों को न्यायालय के सम्मुख रखा गया कि प्रार्थिया द्वारा जो प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी पेश किया है, वह विधिसम्मत व न्यायोचित है, लिहाजा पत्थरगढी करने के आदेश प्रसारित किये जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के कम में पटवारी हलका बसवा की रिपोर्ट दिनांक 12.6.2023 के अनुसार, प्रार्थना पत्र में अंकित ग्राम जावली का बाढ पटवार हलका बसवा ए खाता संख्या नया 186 पुराना 143 के खसरा नंबरान 2910 रकबा 0.73 हैक्टयर, 2911 रकबा 0.77 हैक्टयर, 2916 रकबा 0.30 हैक्टयर व 2927 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.84 हैक्टयर का सीमाज्ञान दिनांक 12.6.2023 को संपादित किया जा चुका है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा, ग्राम जावली का बाढ पटवार हलका बसवा ए खाता संख्या नया 186 पुराना 143 के खसरा नंबरान 2910 रकबा 0.73 हैक्टयर, 2911 रकबा 0.77 हैक्टयर, 2916 रकबा 0.30 हैक्टयर व 2927 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.84 हैक्टयर भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला–दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.30 15:37:41 IST
Reason: SelfAttested